संख्या–3960–69–1–2000–01 (एस0जे0)/97

प्रेषक,

श्री एस0 आर0 लाखा
सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला नगरीय विकास अभिकरण
उत्तर प्रदेश।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, लखनऊः दिनाँक–20 अक्टूबर, 2000

विषय : डूडा द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य नगर विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित केन्द्र पुरानिधारित कार्यक्रमों के जनपद स्तर पर क्रियान्वयन के दौरान देखने में यह आया है कि कुछ जनपदों में जिला नगरीय विकास अभिकरण द्वारा राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम योजना और नगरीय मजदूरी रोजगार योजना के अंतर्गत ऐसी कालोनियों में मूलभूत सुविधायें जैसे –सड़क, खडंजा, बिजली, पानी, सैनीटेशन आदि की सुविधायें प्रदान की जा रही हैं जो सहाकरी/निजी कालोनाइजर्स/बिल्डर्स द्वारा विकसित कराना उनका ही दायित्व था उक्त प्रकार की कालोनियों में मूलभूत सुविधायें जिला नगरीय विकास अभिकरण द्वारा संचाति योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराना भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के विपरीत है।

अतः ऐसी कालोनियों में जिला नगरीय विकास अभिकरण द्वारा मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु निर्माण कार्य कराने हेतु निर्माण कार्य कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अनुरोध है कि ऐसी कालोनियों जो सहकारी/निजी कालोनाइजर्स/बिल्डर्स द्वारा विकसित की गयी हों, में विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार योजना के अंतर्गत मूलभूत सुविधायें जैसे–सड़क, खडंजा, बिजली, पानी, सैनीटेशन आदि से संबंधित कार्य न कराये जाये। यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे। यदि भविष्य में ऐसा कोई प्रकरण शासन के संज्ञान में आता है तो संबंधित परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी की जिम्मेदारी मानते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

भवदीय,

(एस0आर0 लाखा)
सचिव

स0– 3960 (1)/69.1.2000–01 (एस0जे0)/97 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अनुसचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ।
3. समस्त परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
5. गार्ड फाईल हेतु।

भवदीय,

(राम किशोर)
सचिव